संख्या-01/2020/01/38-3-2020-35/2019टी0सी0-3/2020

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-810/बजट/पुनर्विनियोग प्रस्ताव/2019-20 दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के 01 वेतन मद में हो रही बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग से अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-10-जलकर/जल प्रभार, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-49-चिकित्सा व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-55-मकान किराया भत्ता, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-56-नगर प्रतिकर भत्ता, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-49-चिकित्सा व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय), लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-55-मकान किराया भत्ता, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-09-विद्युत देय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्त, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-49-चिकित्सा व्यय, लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) पुनर्विनियोजन के अनुसार संलग्न **बी0एम0-9 प्रपत्र कुल धनराशि रू0 1771.94/-(रू0 सत्रह करोड इकहत्तर लाख चौरानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करती हैंः-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही

किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्रदान करने के बाद ही किया जाये।

(2) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जाए।

(3) बचत की मद में पुन: धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व होगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अंतर्गतलेखा शीर्षक-2515 के अंतर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-आर0ई0-309/यू0ओ0-ई-2-21/दस-2019, दिनांक 24-01-2020 में प्राप्त आदेशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय
हरी राम
उप सचिव।

संख्या-01(1)/2020/01/38-3-2020-35/2019टी0सी0-3/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

भवदीय
हरी राम
उप सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
वित्तीय वर्ष 2019-20
प्रपत्र बी0एम0 9 (भाग-1)

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) /	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-01-वेतन	**66517.25**	**2013.51**	**2013.51**	**1771.94**	**64745.31**
योग:-	**66517.25**	**2013.51**	**2013.51**	**1771.94**	**64745.31**
				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) /	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-10-जलकर/जलप्रभार	**11.53**	**13.31**	**1.78**	**1.78**	**13.31**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-49-चिकित्सा व्यय	197.21	397.21	200.00	100.00	297.21
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-55-मकान किराया भत्ता	80.73	1629.35	1548.62	1548.62	1629.35
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-56-नगर प्रतिकर भत्ता	29.20	61.74	32.54	32.54	61.74
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	55.88	45.88	5.00	15.00
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	6.13	5.13	1.00	2.00
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-49-चिकित्सा व्यय	100.94	241.34	140.40	50.00	150.94
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1085.42	1090.31	4.89	4.89	1090.31

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-55-मकान किराया भत्ता	596.45	611.06	14.61	14.61	611.06
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	11.43	7.43	2.00	6.00
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-09-विद्युत देय	25.00	31.77	6.77	6.77	31.77
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्त	5.93	6.13	0.20	0.20	6.13
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.57	0.61	0.04	0.04	0.61
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-49-चिकित्सा व्यय	5.85	9.66	3.81	3.00	8.85
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	84.71	86.20	1.49	1.49	86.20
	2238.54	4252.13	2013.51	1771.94	4010.48

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) 03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक) के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत धनरशि रू0 2013.51 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

(2) 03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक) में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण मानक मद-10-जनकर/जल प्रभार में रू0 1.78 लाख एवं 49-चिकित्सा व्यय में रू0 200.00 लाख लम्बित बिलों के भुगतान की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(3) 03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक) के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में रू0 1548.62 लाख एवं 56-नगर प्रतिकर भत्ता में रू0 32.54 लाख, की अपरिहार्य आवश्यकता इस लिए हे कि प्रश्नगत मानक मदों में कम बजट व्यवस्था होने के कारण ऋणात्मक आहरण हो रहा है, जिस पर कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा आपत्ति उठाने के कारण बजट की व्यवस्था अनिवार्य है।

(4) इसी प्रकार 06-संग्रहीत जिला कार्यालय में मानक मद-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 45.87 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 5.13 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 140.40 लाख, 52-पुनरीक्षित तेतन का अवशेष (राजकीय) में रू0 4.89 लाख एवं 55-मकान किराया भत्ता में रू0 14.61 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(5) इसी प्रकार 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 7.43 लाख, 09-विद्युत देय में रू0 6.77 लाख, 17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्त में रू0 0.20 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 0.04 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 3.81 लाख एवं 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू0 1.49 लाख के लम्बित बिलों के भूगतान की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(6) प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 निर्दिष्ट प्रतिबन्धो/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-309/यू0ओ0-ई-2-21/दस-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2020

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

हरी राम
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

केशव प्रसाद
संयुक्त सचिव,

वित्त विभाग,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-01/2020/ 01(2)/38-3-2020,तद्दिनांक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(2) वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (तीन मूलप्रति सहित)।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
हरी राम
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।